शासकीय महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
से संबद्ध

प्रवेश विवरणिका

2022-2023

दूरभाष : **97541 87484**
e_mail :mggovtcollegekhs@gmail.com
Website : www.mgcollegekharsia.in

महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

शासकीय महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया, जिला- रायगढ़ की स्थापना सर्वप्रथम नगरपालिका परिषद, खरसिया द्वारा स्थापित एक अशासकीय महाविद्यालय के रूप में 1964 में हुई थी, जिसके तहत केवल कला संकाय के अंतर्गत बी. ए. की कक्षाओं का संचालन किया जाता था । तत्कालीन नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष स्व. श्री लखीराम अग्रवाल जी के प्रयास से यहाँ पर वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया गया । पूरे अविभाजित मध्यप्रदेश में यह महाविद्यालय नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित एक महाविद्यालय था तथा अविभाजित रायगढ़ जिले में वाणिज्य की उच्च शिक्षा इसी महाविद्यालय में प्रारंभ की गई थी । नगरपालिका द्वारा महाविद्यालय संचालन के कार्यकाल में अनेक बाधायें आयीं परन्तु महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष श्री लखीराम अग्रवाल के क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक विकास पक्के इरादे तथा दूर दृष्टि के कारण यह महाविद्यालय निरंतर विकास करता रहा । इस दौरान महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत 1964 से 1983 तक तथा गुरूघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से 1984 से शासनाधीन होते तक संबद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध है । राज्य शासन, स्थानीय स्व-शासन/नगरीय कल्याण विभाग एवं उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग से यह दबाव आया कि नगर पालिका परिषद का कार्य महाविद्यालय संचालित करना नहीं है तथा इसके लिए पृथक से कोई अनुदान किया जावेगा, अतः इसे बंद किया जाये । इसके बावजूद क्षेत्र की जनता की मांग, विद्यार्थियों तथा पालकों की अभिरूचि तथा उस समय संचालक मंडल, पदाधिकारियों की दृढ़ इच्छा के कारण यह महाविद्यालय निर्वाध गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा । इस दौरान महाविद्यालय को यू.जी.सी. एक्ट के 2 एफ. तथा 12 बी. के तहत् मान्यता भी मिल गई थी एवं निरंतर अनुदान भी प्राप्त हुआ ।

राज्य शासन की नीति के तहत् दिनांक 19 मार्च 1984 को महाविद्यालय का शासकीय अधिग्रहण डॉ. अमिताभ लाहिड़ी, पूर्व प्राचार्य शास. किरोड़ीमल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर स्वशासी शासकीय महाविद्यालय, रायगढ़/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, बिलासपुर संभाग, प्रो. ए. शकूर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग तथा प्रो. व्यास नारायण पाण्डेय के नेतृत्व में किया गया तथा इस दिनांक से नगर पालिका कला एवं वाणिज्य उपाधि महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय के रूप परिवर्तित हो गया । 1964-1990 तक महाविद्यालय की कक्षाएं नगरपालिका परिषद द्वारा निर्मित तथा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित होती थी । इस दौरान महाविद्यालय में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं उच्च शिक्षा के नीतिकार डॉ. सत्य सहाय श्रीवास्तव, प्रो. बी.डी. शर्मा तथा प्रो. डी. के. बाजपेयी जैसे प्रभृति विद्वानों ने प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया । इस महाविद्यालय के प्रारंभिक दिनों के वाणिज्य संकाय के पूर्व मेधावी छात्र श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल इसी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं । स्थापना काल के महाविद्यालयीन प्राध्यापकों एवं अधिकारियों में प्रो. दिलीप बाजपेयी, प्रो. भागवतदास शर्मा, प्रो. सीताराम अग्रवाल (मित्तल), प्रो. रामविलास थवाईत, प्रो. भगवानधर दीवान, प्रो. कुंज बिहारी चतुर्वेदी, श्री गोविन्दराम थवाईत (ग्रंथपाल), डॉ. विजेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रो. श्रीकुमार पेल्लई, डॉ. सतीश पाण्डेय इत्यादि ने महाविद्यालय के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया ।

सन् 1988, महाविद्यालय के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष था जब खरसिया विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी उपचुनाव में क्षेत्रीय विधायक के रूप में चुने गये, जिनके द्वारा शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खरसिया के नये शासकीय भवन के निर्माण हेतु घोषणा कर राशि स्वीकृत की गयी । 1990 में बनकर तैयार हुआ, तब से यह महाविद्यालय नये भवन में संचालित हो रहा है । कालांतर में खरसिया के पूर्व विधायक तथा मध्यप्रदेश शासन /छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शहीद नंदकुमार पटेल जी के द्वारा महाविद्यालय से लगे हुए लगभग 9.64 एकड़ भूमि में राज्य शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुदान से स्टेडियम का निर्माण हुआ । जिसका लाभ महाविद्यालय एवं पूरे नगर तथा आम जनता को मिल रहा है । इस स्टेडियम को तकनीकी रूप से कई खेलों के लिए तैयार किया गया है,

इसका कुशल संचालन तथा देख-रेख महाविद्यालय के स्थापना काल से क्रीड़ा अधिकारी श्री एम.डी. वैष्णव के द्वारा 2013 तक किया गया, अनन्तर डॉ. आर. के. टण्डन एवं प्रो. डी. के. संजय के द्वारा संभाला गया । वर्तमान में सुश्री कुसमोर्ति जांगड़े नियमित क्रीड़ा अधिकारी हैं । महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा उच्च विभाग के द्वारा एक मल्टी जिम्नेजियम भी स्वीकृत किया गया है जो नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित समय में संचालित भी किया जा रहा है ।

तीव्र गति से विकास कर रहे इस महाविद्यालय में बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्व. लखीराम अग्रवाल जी, सांसद, राज्यसभा के द्वारा दो वृहद आकार हॉल तथा बरामदा तथा माननीय श्री नंदकुमार पटेल जी के सहयोग से राज्य शासन, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगरीय कल्याण विभाग द्वारा 4 अध्ययन कक्षों का निर्माण कराया गया । आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने दो बार छः-छः अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाया है ।

महाविद्यालय के शासनाधीन होने के उपरांत अंचल के जाने जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. अमिताभ लाहिड़ी, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. बी.पी. त्रिपाठी, आंग्लभाषा एवं साहित्य के विद्वान डॉ. दिनेश पाण्डेय, वाणिज्य के प्राध्यापक एस. आर. अग्रवाल, राजनीति विज्ञान के डॉ. बी.डी. शर्मा तथा हिन्दी साहित्यकार डॉ. डी. के. बाजपेयी ने प्राचार्य तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यभार का सफलतापूर्वक निर्वहन किया । 1999 का वर्ष महाविद्यालय के इतिहास में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के रसायनशास्त्र विभाग के ख्यात नाम प्रोफेसर एवं पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना के आधार स्तंभों में से एक प्रो. व्यासनारायण पाण्डेय को राज्य शासन ने स्थायी रूप से प्रभारी प्राचार्य एवं आहरण संवितरण के रूप में पदांकित किया । उन्होंने 9 वर्षों की दीर्घ अवधि तक महाविद्यालय की सेवा की तथा जुलाई 2008 में जांजगीर में स्थित शासकीय टी. सी. एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थानांतरित हुए । इनके कार्यकाल में सन् 2005-06 में महाविद्यालय का भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वशासी निकाय - राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बंगलूरू द्वारा महाविद्यालय का मूल्यांकन किया गया तथा C++ ग्रेड प्रदान किया गया । महाविद्यालय का पुनः ''नैक'' मूल्यांकन 2022-23 में किया जाना है जिसकी व्यापक तैयारी की जा रही है। महाविद्यालय में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लायब्रेरी एक्टेंशन बिल्डिंग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराया गया है । जुलाई 2008 से 17 अक्टूबर 2010 तक महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व प्रो. बी.के. पटेल के कुशल मार्गदर्शन में हुआ ।

महाविद्यालय में लगभग 36000 पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों की सुसज्जित संग्रह है । वर्तमान में नवनियुक्त ग्रंथपाल सुश्री स्वाति सिंह के मार्गदर्शन में इनफ्लिब नेट के अंतर्गत छात्रों को एन-लिस्ट में पंजीयन करते हुए ऑनलाईन पुस्तकों का लाभ छात्रों द्वारा उठाया जा रहा है । महाविद्यालय में एक प्लेसमेंट सेल एवं वाचनालय की व्यवस्था है, यहां पर नियमित पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक सक्रिय इकाई संचालित है । इसी तरह ले. सरला जोगी के प्रशिक्षण में 28वीं बटालियन, रायगढ़ के तहत् महाविद्यालय में 107 कैडेट्स की एक टुकड़ी कार्यरत है । युवा रेडक्रॉस, स्नातकोत्तर छात्र परिषद, छात्र-संघ, विज्ञान क्लब, सांस्कृतिक क्लब, छत्तीसगढ़ी भाषा क्लब, अंग्रेजी भाषा क्लब, इको क्लब की इकाईयाँ सक्रिय रूप से शैक्षणेत्तर कार्यों से जुड़े हुए हैं । महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व डॉ. पी.सी. घृतलहरे अक्टूबर 2010 से संभाल रहे हैं । इस बीच मार्च 2021, मार्च 2022 एवं जून 2022 में डॉ. पी. एल. पटेल महाविद्यालय का आहरण संवितरण अधिकारी एवं प्राचार्य रहे ।

❑❑❑

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा की नीति
(Higher Education Policy)

- ★ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की युवा पीढ़ी के अकादमिक स्तर को बढ़ाना ।
- ★ शैक्षणिक अमले की पूर्ति कर नियंत्रण रखना ।
- ★ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ।
- ★ उच्च शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना ।
- ★ शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने हेतु अधिकाधिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करना तथा विद्यार्थियों के लिए बाजार के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर का सृजन करना ।
- ★ सभी वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।
- ★ शैक्षणिक अमले की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निरंतर रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना/ आयोजित करना ।
- ★ एन.एस.एस./एन.सी.सी. आदि पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा नैतिक मूल्यों के साथ व्यक्तिगत विकास के लिये स्वस्थ वातावरण निर्मित करना ।
- ★ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक अध्यादेश परिनियम बनाना ।
- ★ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का भर्ती प्रतिशत बढ़ाने हेतु निरंतर आवश्यक अधोसंरचना का विकास करना ।
- ★ शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता कायम करने हेतु बेहतर अधोसंरचना जैसे ग्रंथालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की व्यवस्था करना ।
- ★ समाज के बी.पी.एल., अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र –छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम लागू कर इन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना ।
- ★ विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखना तथा यू.जी.सी. के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के लाभ प्राप्त करना ।

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अकादमिक कैलेण्डर

क्र.	विवरण	तिथियाँ
1.	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)	
	(क) स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2022 से 16.08.2022
	(ख) अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परीणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से	
2.	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	26 अगस्त, 2022 तक
3.	नियमित कक्षायें प्रारंभ	01.07.2022 से
4.	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023
5.	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2023 तक
6.	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	31.08.2023 तक
7.	पूरक परीक्षा का आयोजन	न्यूनतम समय में
8.	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2023 तक
9.	छात्र–संघ गतिविधियाँ	
	(क) छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार
10.	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ :	
	(क) खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से
	(ख) खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 तक
	(ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन
11.	एन सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :	
	(क) वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह
	(ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2022 में से कोई एक
	(ग) एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 तक
	(घ) दीक्षान्त समारोह	जनवरी–फरवरी, 2023

क्र.	विवरण	तिथियाँ
12.	अवकाश	
	(क) दशहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक
	(ख) दीपावली अवकाश (3 दिन)	24.10.2022 से 26.10.2022 तक
	(ग) शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2022 से 26.12.2022 तक
	(घ) ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2023 से 15.06.2023 तक
13.	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम	
	1. प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2022
	2. द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2022
	3. तृतीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022
	4. प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 नवम्बर, 2022
	5. चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2022
	6. द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर, 2022
	7. प्री– फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जनवरी, 2023
14.	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम	
	1. वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी 2023
	1. वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2023 प्रथम सप्ताह

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :

1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है बिना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	**स्नातक/स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)**	**स्नातक/स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)**
प्रवेश प्रक्रिया	16 जून से 30 जून, 2022	
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई, 2022	16 जनवरी, 2023
प्रायोगिक परीक्षाएँ	24 नवम्बर, 2022 से	24 अप्रैल, 2023 से
परीक्षा पूर्व तैयारी	25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक	25 अप्रैल, 2023 से 10 मई 2023 तक
लिखित परीक्षाएँ	11 दिसम्बर, 2022 से	11 मई, 2023 से
परीक्षा परिणाम	15 जनवरी, 2023	15 जून 2023

शिक्षक के कर्त्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –
   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)
   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियों प्रदान करेगें।
   यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये। आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यलय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिशित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा । ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा । जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे । ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे ।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा लिखित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेगें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथियों के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

विशेष टीप :

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढ़ा जाये।

स्पष्टीकरण :

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रदेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया. इस स्थान (द) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है. रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालया के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना** : विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य

संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गमन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो ये 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें ।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम विद्यार्थियों को ही प्रतिसेवन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे ।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/ विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र घर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है । अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए ।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हता परीक्षा :

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी। (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर नियमित

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :

(क) बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.– प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी / एम.ए.– प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अहंकारी परीक्षा उतीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के. टी. (Allowed To Keep Terms) नियम 1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति हेतु 40% अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी) तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.). इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस. ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्यकी सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 समान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय(IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पस अनुभाग आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनबीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में

दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे ये अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी. एस. सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू 73 होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के

आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो. ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/ प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीमेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश जाय, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जा सकेगा ।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जायेगा ।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् : (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों को आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी । शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा. 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यायीन रहेगा ।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04. 2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा. अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	–	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	03 प्रतिशत
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	–	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ अनुभाग के एन. सी. सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेंगे वाले विद्यार्थी को	–	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	–	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए. आई.यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य की — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छततीसगढ़ शासन् / म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वित्तीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से

मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कविका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उत्ती महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिए विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मागदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरसः पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा,साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा , अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों को, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूंकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी / एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रथांलय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय पर नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होन वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होन की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उनके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छ.ग. शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर 5 वर्ष तक कारावास की सजा या 5000/– जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जावेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र पर अथवा आवेदन में तथ्यों को छुपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

❑❑❑

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. **बी. ए. प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम** :
   - अ. अनिवार्य विषय — आधार पाठ्क्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
   - ब. पर्यावरण विज्ञान — बी.ए. तीनों वर्षों में एक बार (प्रथम वर्ष को प्राथमिकता) शामिल होना अनिवार्य होगा ।
   - स. ऐच्छिक विषय — निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषयों का चयन करें । विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन संभावित
     1. समाज शास्त्र 2. अर्थशास्त्र
     3. राजनीति शास्त्र 4. इतिहास
     5. हिन्दी साहित्य 6. भूगोल

   बी.ए. पाठ्यक्रम में तीन वर्षों के लिए विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
2. **बी. ए. द्वितीय का पाठ्यक्रम** :
   बी.ए द्वितीय में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. प्रारंभिक में लिए गये थे ।
3. **बी. ए. तृतीय का पाठ्यक्रम** :
   बी.ए तृतीय में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए.पूर्व में लिए गये हों एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्गत हो ।

विज्ञान संकाय

1. **बी. एससी. प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम (गणित समूह)** :
   - अ. अनिवार्य विषय — आधार पाठ्क्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
   - ब. पर्यावरण विज्ञान — बी.एससी. तीनों वर्षों में एक बार (प्रथम वर्ष को प्राथमिकता) शामिल होना अनिवार्य होगा ।
   - स. अनिवार्य विषय — भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
2. **बी. एससी.द्वितीय वर्ष (गणित समूह)** :
   बी.एससी. प्रथम वर्ष के लिए गये विषय ही लेना होगा ।
3. **बी. एससी.तृतीय वर्ष (गणित समूह)** :
   बी.एससी. द्वितीय वर्ष के लिए गये विषय ही लेना होगा ।
4. **बी. एससी. प्रथम वर्ष (बॉयोलॉजी समूह)** :
   - अ. अनिवार्य विषय — आधार पाठ्क्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
   - ब. पर्यावरण विज्ञान — बी.एससी. तीनों वर्षों में एक बार (प्रथम वर्ष को प्राथमिकता) शामिल होना अनिवार्य होगा ।
   - स. अनिवार्य विषय — रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान
5. **बी. एससी.द्वितीय वर्ष (बॉयोलॉजी समूह)** :
   बी.एससी. प्रथम वर्ष के लिए गये विषय ही लेना होगा ।
6. **बी. एससी.तृतीय वर्ष (बॉयोलॉजी समूह)** :
   बी.एससी. द्वितीय वर्ष के लिए गये विषय ही लेना होगा ।

वाणिज्य संकाय

5. 1. **बी. कॉम.प्रथम वर्ष** :

अ.	अनिवार्य विषय	– आधार पाठ्क्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	पर्यावरण विज्ञान	– बी.कॉम. तीनों वर्षों में एक बार (प्रथम वर्ष को प्राथमिकता) शामिल होना अनिवार्य होगा ।
स.	अनिवार्य समूह	– 1. वित्तिय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित 2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा 3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. **बी. कॉम. द्वितीय वर्ष** :

अ.	अनिवार्य विषय	– आधार पाठ्क्रम –हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह	– 1. निगमन लेखांकन एवं लागत लेखांकन 2. व्यावसायिक सांख्यिकी एवं उद्यमिता के तत्व 3. व्यावसाय प्रबंध एवं कम्पनी अधिनियम

3. **बी. कॉम. तृतीय वर्ष** :

अ.	अनिवार्य विषय	– आधार पाठ्क्रम –हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह 1. आयकर (प्रत्यक्ष कर) 2. अप्रत्यक्ष कर 3. प्रबंधकीय लेखांकन 4. अंकेक्षण	– वैकल्पिक 1. विपणन के सिद्धांत 2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

स्नातक

1.	बी.एससी.		- 200
	जीव विज्ञान समूह	- 130	
	गणित समूह	- 70	
2.	बी.कॉम.		- 60
3.	बी.ए.		- 240

स्नातकोत्तर

4.	एम.ए. (हिन्दी साहित्य)	- 40
5.	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	- 40
6.	एम.ए. (समाज शास्त्र)	- 40
7.	एम.ए. (अर्थशास्त्र)	- 40
8.	एम.ए. (इतिहास)	- 40
9.	एम.कॉम.	- 40
10.	एम.एससी. (रसायन शास्त्र)	- 25

महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधाएं

1. **शैक्षणिक संरचनात्मक सुविधाएं** :
   - सुसज्जित अध्यापन कक्ष ।
   - स्मार्ट रूम एवं सेमिनार हॉल।
   - उपकरणों से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालायें ।
   - वानस्पतिक उद्यान ।
2. **ग्रंथालय/वाचनालय** :
   - पाठ्यक्रम संदर्भ ग्रंथों से सुसज्जित संपन्न ग्रंथालय ।
   - समाचार पत्र, पत्र–पत्रिकाएं एवं शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स की उपलब्धता ।
   - अनुसूचित जाति एवं अनुससूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क बुकबैंक की पुस्तकें ।
   - प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं ।
   - सुसज्जित वाचनालय ।
   - छात्रों का एन–लिस्ट में पंजीयन ।
3. **खेलकूद** :
   - विस्तृत सभागार सह जिम्नेजियम ।
   - खेल मैदान : खो–खो, कबड्डी, बास्केटबाल, व्हॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, 400 मीटर ट्रेक एवं मिनी स्टेडियम।
4. **पेयजल एवं प्रशाधन** :
   - शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था ।
   - छात्र / छात्रा, पुरूष / महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक–पृथक प्रसाधन व्यवस्था ।
5. **छात्रवृत्तियाँ** :
   1. अनुसूचित जाति–जनजाति (एस. टी., एस.सी.) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी. सी.) को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्तियां एवं छात्रवासी छात्रों के लिए शिष्यवृत्तियाँ ।
   2. प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ ।
6. **अन्य** :
   1. स्वास्थ्य परीक्षण ।
   2. युवा रेडक्रॉस सोसायटी ।
   3. फर्स्ट एड सुविधा ।
   4. ऑनलाईन फीस पेमेन्ट सुविधा । (एस.बी.आई. के होम पेज पर एस.बी. कलेक्ट के माध्यम से)
   5. शिकायत पेटी (छात्र–छात्राओं हेतु) ।
   6. प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य हेतु सुविधा ।
   7. अतिथि व्याख्यान माला का आयोजन ।
   8. शैक्षणिक भ्रमण ।
   9. सांस्कृतिक कार्यों हेतु मंच (स्टेज) की सुविधा।
   10. मेंटर सुविधा । (चिन्हार)
   11. सूचना के लिए अपडेटेड वेबसाईट ।
   12. ऑनलाईन फीडबैक / कम्प्लेन की सुविधा ।
   13. विषम परिस्थितियों में ऑनलाईन क्लास की सुविधा ।
   14. जनभागीदारी समिति ।
   15. अनुशासन समिति एवं विद्यार्थियों के उत्पीड़न प्रकोष्ठ गठित होने के कारण प्राप्त होने वाली सुरक्षा ।
   16. एंटी रैगिंग कमेटी ।

17. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ।
18. महिला उत्पीड़न समाधान समिति ।
19. छात्रा कामन रूम ।
20. अनु. जाति–जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ ।
21. संगोष्ठी, परिचर्चा एवं समूह चर्चाओं का आयोजन ।
22. सूचना का अधिकार ।
23. प्लेसमेंट सेल ।
24. नोटिस बोर्ड ।
25. आचरण संहिता ।
26. वृक्षारोपण एवं गमलों की व्यवस्था ।
27 टाईम टेबल ।
28. पूर्व विद्यार्थी परिषद (एलूमनी एशोसिएशन)।
29. एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) ।
30. एन.सी.सी. (राष्ट्रीय छात्र सेना) ।
31. कैन्टिन सुविधा (निर्माणाधीन)।
32. अनु. जाति, जनजाति के लिए छात्रावास सुविधा (आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा)।
33. वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ।
34. जयंती एवं दिवसों का आयोजन ।
35. Govt. MG PG College Kharsia की youtu.be चैनल सुविधा ।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिए विशेष परिनियम :

1. यह विषेश विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा सकता है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर में संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लागू होंगे । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिए ये परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोंट पहुँचाना, चाँटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुँचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना ।
   - द सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी समाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना–चिल्लाना आदि ।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे । इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे । इस हेतु प्रोक्टोरियल बोर्ड को विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनित वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे ।
5. प्राक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचाय/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।

1. महाविद्यालय में एक या दो वर्ष के लिए दिया जा सकेगा ।
2. राज्य की किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश में रोक ।
3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जाँच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा । लेकिन की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।
2. किसी शैक्षणिक संस्था को कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्ध दोश पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।
3. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोश पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21–अ (प्रारूपण)/2002 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिशेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार
टी.सी. युद् - अतिरिक्त सचिव

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अधिकारी सूची

प्राचार्य

डॉ. पी. सी. घृतलहरे

कला संकाय

हिन्दी विभाग	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	डॉ. रमेश टण्डन (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	श्री जयराम कुर्रे
	सहायक प्राध्यापक	श्री दिनेश कुमार संजय
अंग्रेजी	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	श्री जुएल केरकेट्टा (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	श्री शिवाकांत इजारदार
अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	श्रीमती रीतासिंह
इतिहास	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	श्री एम. एल. धीरही (विभागाध्यक्ष)
समाज शास्त्र	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	डॉ. सुशीला गोयल (विभागाध्यक्ष)
राजनीति शास्त्र	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	डॉ. पी. एल. पटेल (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	श्री दुष्यंत भोई

वाणिज्य संकाय

	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	श्री पी. के. चेतानी (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	श्री मनोज साहू

विज्ञान संकाय

भौतिक शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	श्री काश्मीर एक्का (विभागाध्यक्ष)
वनस्पति शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	श्री अश्वनी पटेल (विभागाध्यक्ष)
प्राणीशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	श्रीमती सरला जोगी
रसायन शास्त्र	प्राध्यापक	रिक्त
	सहायक प्राध्यापक	डॉ. मो. तलहा (विभागाध्यक्ष)
	सहायक प्राध्यापक	श्री सी. व्ही. डनसेना

क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा

क्रीड़ा अधिकारी	सुश्री कुसमोर्ति जांगड़े

ग्रंथालय एवं सूचना विभाग

ग्रंथपाल	सुश्री स्वाति सिंह

जनभागीदारी समिति

प्रभारी प्राध्यापक	डॉ. पी. एल. पटेल
लिपिक	श्री गोपेश पाण्डेय

टीप : रिक्त पदों पर शासन द्वारा नियमानुसार
अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाती है ।

महाविद्यालयीन कर्मचारियों की सूची

कार्यालय

1.	श्री डी. के. यादव	–	मुख्य लिपिक / सहा. ग्रेड – 1
2.	श्री यू. एस. टोण्डे	–	मुख्य लिपिक / सहा. ग्रेड – 2
3.	श्री जी. डी. महंत	–	सहा. ग्रेड – 3
4.	श्री मदन मलहोत्रा	–	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
5.	रिक्त	–	सहा. ग्रेड – 3

प्रयोगशाला शिक्षक (तकनीशियन)

1.	श्री एस.के. मेहरा	–	रसायन विज्ञान
2.	श्री एस. एल. पोर्ते	–	भौतिक विभाग
3.	श्री डी. के. नागरे	–	वनस्पति विभाग
4.	श्री गोपेश कुमार पाण्डेय	–	प्राणी / भूगोल विभाग

प्रयोगशाला परिचारक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. प्रेमसाय कश्यप (भृत्य)
2. श्री अरूण कुमार यादव (बुक लिफ्टर)
3. श्री लखनलाल भारती (चौकीदार)
4. श्री संदीप शर्मा, प्रयोगशाला परिचारक
   (शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि. रायगढ़ में संलग्न)
5. श्री रूद्र कुमार राठिया – सायकल स्टैण्ड चौकीदार
   (महाविद्यालय द्वारा)

अतिथि/जन भागीदारी शिक्षक

1. श्री एल. डी. मानिकपुरी (समाजशास्त्र)
2. श्रीमती प्रियंका राठौर (रसायन शास्त्र)
3. डॉ. आकांक्षा मिश्रा (हिन्दी)
4. श्री वकील अहमद (राजनीति विज्ञान)
5. कु. प्रतिमा राजपूत (वाणिज्य)
6. कु. साक्षी देवांगन (गणित)
7. श्री मनोज बरेठा (भूगोल)